



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 भाद्र 1942 (श10)

(सं0 पटना 517) पटना, सोमवार, 31 अगस्त 2020

सं० 2/आ0-70-24/2019-5184/गृ0आ0

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

14 अगस्त 2020

श्री मुत्तफिक अहमद, बि0पु0से0, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हिलसा, नालंदा को कर्तव्य पालन के दौरान बरती गई कर्तव्यहीनता एवं संदिग्ध आचरण के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 (1) (क) (ग) के तहत विभागीय अधिसूचना सं0-6768 दिनांक 19.08.2019 द्वारा निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना निर्धारित किया गया। श्री अहमद निलंबन आदेश निर्गत किये जाने की तिथि को पुलिस उपाधीक्षक (मु०), पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापित थे।

2. निलंबित किये जाने के पश्चात श्री अहमद के विरुद्ध आरोप गठित करते हुए विभागीय ज्ञापन सं0-7960 दिनांक 24.09.2019 निर्गत किया गया तथा विभागीय संकल्प सं0-11037 दिनांक 23.12.2019 द्वारा आरोपों की जाँच हेतु श्री पंकज कुमार दराद, भा0पु0से0 संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेल-सह-संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्रांक-618 दिनांक 12.05.2020 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं उस पर श्री मुत्तफिक अहमद से प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन (दिनांक 04.06.2020) के सम्यक समीक्षा के उपरांत विभागीय कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में इन्हें निलंबन से मुक्त किया जाता है।

4. निलंबन अवधि के लिए श्री अहमद को जीवनयापन भत्ता के अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा।
5. श्री अहमद, पुलिस उपाधीक्षक (बि०पु०से०), निलंबन से मुक्त होने के उपरांत पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के कार्यालय में योगदान देंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को एक-एक प्रति भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 517-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>